

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2023/ 56
प्राथीनी

पीठारसीन अधिकारी-श्री रागवरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 2/1/24

1 दरिया कंवर पत्नी
भूरसिंह जाति रावणा
राजपूत निवासी बाड़मेर
गादान तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 धनीदेवी पत्नी शंकरसिंह 2 राणसिंह पुत्र शंकरसिंह 3
शीतादेवी पत्नी महेन्द्रसिंह 4 द्वारकासिंह 5 गोजराजसिंह 6
चुतरसिंह पिरारान पदमसिंह 7 जरावन्तसिंह 8 ओमसिंह पिरारान
कानसिंह 9 ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह 10 गोमसिंह 11 मगसिंह 12
सोहनसिंह 13 दिनेशसिंह पिरारान गोहनसिंह 14 फुलसिंह 15
ओमसिंह 16 पीरसिंह 17 परमेश्वरसिंह 18 रमेशसिंह पिरारान
मगसिंह 19 लेहरी पत्नी मगसिंह 20 भूरसिंह पुत्र माधूसिंह 21
सुन्दरदेवी पत्नी माधूसिंह 22 सुन्दरदेवी पत्नी लीलसिंह 23 राजू
पुत्री लीलसिंह निवासी डिगडा बस्ती बाड़मेर गादान 24 मुकेश
कुमार पुत्र ज्ञाननदास 25 जयश्री पुत्र मुकेश कुमार 26 पुनित
पुत्र मुकेश कुमार जाति सिन्धी निवासी राय कॉलोनी वेरियों का
वास 27 चैनसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा
28 किशन आचार्य पुत्र मगाराम जाति आचार्य निवास आचार्यो
का वास बाड़मेर 29 दिलीप कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति आचार्य
निवासी आचार्यो का वास बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
30 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 04/2023 दिनांक- 26/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 3286/2222 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्राथी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्राथी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 2/1/24

क्रमांक :- रीडर/2023/ 57 to 60

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दरियादेवी पत्नी भूरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी धनीदेवी पत्नी शंकरसिंह वगैराह निवासी डिगडा बस्ती बाड़मेर गादान तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

